(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 496–दो/2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 13–01–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 168/अ–68/2010–11

.....

श्रीमती कृष्णाबाई बेवा स्व0 त्रिलोकचंद
निवासी पक्का सिंधी कैम्प, जिला–दमोह
(म0प्र0) ..... आवेदिका

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदक

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदिका
अनावेदक शासन अनुपस्थित

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/3/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–01–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि दमोह खास के नजूल शीट नं0 54 प्लॉट नं0 17/55 ले–आउट नं0 205 रकबा 1500 वर्गफुट भूमि पर आवेदिका द्वारा टेंट लगाकर कब्जा करने की एक झूटी रिर्पोट शिकायतकर्ता श्रीमती विद्यादेवी

बेवा बच्चा सिंधी, निवासी सिंधी कैम्प दमोह ने तहसीलदार दमोह (तहसीलदार नजूल) के समक्ष की थी, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा आवेदिका के विरूद्ध अतिक्रमण कर प्रकरण दर्ज कर मात्र राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका को अतिक्रमणकारी मानकर 7 दिवस में कब्जा हटाने तथा रुपये 500/– का अर्थदण्ड का आदेश 30.08.2011 पारित किया गया । नायब तहसीलदार दमोह के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दमोह के समक्ष अपील पेश की गई। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/अ–68/2010–11 विधिवत पंजीकृत किया गया एवं पारित आदेश दिनांक 18.11.2011 से अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दमोह के आदेश दिनांक 30.08.2011 को स्थिर रखते हुये आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई । अनुविभागीय अधिकारी दमोह के उक्त आदेश दिनांक 18.11.2011 से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 168/अ–68/2010–11 पर दर्ज की गई तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं अवलोकन करने पर पाया गया है कि अभी तक आवेदिका को पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव अपर आयुक्त सागर द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2012 से पेश की गई द्वितीय अपील को खारिज किया। अपर आयुक्त सागर के उक्त आदेश दिनांक 13.01.2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये, जिसमें मुख्य रूप से यह बताया है कि भारत विभाजन के समय विस्थापित सिंधी समाज के लोगों को शासन ने सिंधी कैम्प में कैम्प लगाकर शरण दी थी, इससे इसे सिंधी कैम्प कहा जाता है बाद में उन्हें वहां की भूमि के पट्टे दिये गये थे । सिर्फ आवेदिका के पति स्व0 श्री त्रिलोकचंद को पट्टा नहीं मिल पाया था, जिसका पट्टे का प्रकरण अतिरिक्त कमिश्नर के रिमांड आदेश के आधार पर नजूल अधिकारी ने कोई नया निर्माण नहीं किया है न ही नया कब्जा किया । अतिक्रमण किस प्रकार कैसे व कब किया गया है

इन तथ्यों को सिद्ध करने का भार शासन का होता है हटाने के पूर्व जांच की जाना चाहिए, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण अतिक्रमण के संबंध में कोई जांच साक्ष्य इत्यादि नहीं ली अर्थात् साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया । तर्क में यह भी बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में शिकायतकर्ता की शिकायत पर मात्र राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन पर आवेदिका को अतिक्रामक मानकर उसे हटाने का आदेश पारित किया है जबकि अतिक्रमण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर उसकी साक्ष्य लेकर प्रमाणित करना था एवं आवेदक को प्रतिपरीक्षण का अवसर देना था तथा खण्डन में आवेदिका को साक्ष्य देने का अवसर देना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर न देकर आवेदिका को नैसर्गिक न्याय से वंचित कर दिया है । अंत में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये आलोच्य आदेश दिनांक 18.11.2011 एवं 30.08.2011 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि भू–अभिलेखों में शासकीय दर्ज है । आवेदिका ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है । आवेदिका ने किसी भी स्टेज पर उक्त भूमि के स्वामित्व अथवा उसको शासन से पट्टा मिलने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है । आवेदिका ने स्वयं भूमि पर उसका कब्जा करना स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में और कोई जांच या अतिक्रमण के अन्य साक्ष्य से प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं रह जाती है । स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधिवत की है ।

5/ फलतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर